अपीलीय सिविल

माननीय न्यायमूर्ति अजीत सिंह बैंस के समक्ष

रिसाल सिंह, पुत्र राम *चंद, वादी-अपीलकर्ता*

बनाम

ग्राम सभा गाँव, सैदपुर। तहसील सोनीपत और अन्य, *प्रतिवादी-उत्तरदाता।*

1971 की सिविल नियमित द्वितीय अपील संख्या 1116।

३१ जनवरी । 1975.

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का IV) - धारा 104 (2) और 105 - सरपंच की लापरवाही या कदाचार के कारण ग्राम पंचायत को हुई वित्तीय हानि - *सरपंच को सुनवाई का अवसर देने के बाद अधिनियम की धारा 105 के तहत पंचायत अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया गया ऐसा नुकसान - सरपंच द्वारा इस तरह के मूल्यांकन को चुनौती देने के लिए दायर मुकदमा - क्या सिविल न्यायालयों द्वारा सुनवाई योग्य है - सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V) - धारा* 9- *सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र - जब किसी मुकदमे की सुनवाई करने से रोक दिया जाता है।*

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम , 1953 की धारा 104 (2) के तहत, इस अधिनियम के तहत सद्भावना से किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी

भी ग्राम पंचायत के खिलाफ सिविल या आपराधिक अदालत में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं है। जहां किसी सरपंच की लापरवाही या दुर्व्यवहार से ग्राम पंचायत को वित्तीय हानि होती है और इस नुकसान का आकलन पंचवत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 105 (2) के तहत किया जाता है, सरपंच को सुनवाई का पूरा मौका देने के बाद, मूल्यांकन आदेश नुकसान के लिए सरपंच से देय राशि का निर्णायक प्रमाण है। मूल्यांकन आदेश अंतिम हो जाता है और इसे एक सिविल कोर्ट द्वारा नहीं देखा जा सकता है, जिसके पास मूल्यांकन को चुनौती देने वाले मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी विशेष अधिनियम के तहत एक उपाय प्रदान किया जाता है, सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाता है और यदि कोई उपाय प्रदान नहीं किया जाता है, तो मामले को सिविल कोर्ट में लाया जा सकता है। हालांकि, जहां आदेश पारित करने वाले अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया है या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं है; लेकिन यदि अधिकारी ने क़ानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किए बिना अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य किया है, तो सिविल कोर्ट को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा यह अच्छी तरह से तय है कि जहां शीर्षक का सवाल किसी विवाद में शामिल है, सिविल कोर्ट के पास इस पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।

मार्च, 1971 के न्यायालय के आदेश से नियमित रूप से दूसरी अपील *में श्री पी एल सांघी, वरिष्ठ श्री एस सांघी की पुष्टि की गई थी।* **आर।** *सेठ, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक, ने 8वें उप-न्यायाधीश, रोहतक को दिनांक 10* अगस्त, 1970 को वादी *के* ***वाद को खारिज कर दिया****। दोनों न्यायालयों ने पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया।*

अपीलकर्ता की ओर से *एस. सी. कपूर, एडवोकेट।*

जे. एस. मलिक, वकील, उत्तरदाता *1* और *2* के लिए।

नेमो, *3* और *4* के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति *बैंस* रिसाल सिंह अपीलकर्ता ने रोहतक के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित 8 मार्च, 1971 के फैसले और डिक्री के खिलाफ यह नियमित दूसरी अपील दायर की है, जिसमें उन्होंने रोहतक के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के 10 अगस्त, 1970 के फैसले और डिक्री की पुष्टि की है।

मामले के तथ्य विवादित नहीं हैं। वादी रिसाल सिंह, संबंधित अवधि के दौरान ग्राम सभा, सैदपुर के सरपंच और अध्यक्ष थे और उनके खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया था। आरोप है कि सरपंच और अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कुछ *शामलात* भूमि को पट्टे पर दिया, लेकिन पट्टेदार से पट्टे की राशि वसूलने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद, जब वह सरपंच का पद संभाल रहे थे, ग्राम पंचायत की कुछ भूमि को धनी राम के साथ बदल दिया गया था। इस प्रकार पंचायत को सरपंच के रूप में वादी-अपीलकर्ता की उपेक्षा और कदाचार के कारण नुकसान उठाना पड़ा। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के कदम पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 105 के तहत जिला पंचायत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया था।

खंड विकास और पंचायत अधिकारी ने उचित जांच और अपीलकर्ता को समझाने का अवसर देने के बाद, *29 सितंबर, 1966 के अपने आदेश* के माध्यम से पंचायत को 12,308 रुपये के नुकसान का आकलन किया। इसके बाद अपीलकर्ता ने सहायक निदेशक, पंचायत के समक्ष अपील दायर *की, जिन्होंने* 30 अगस्त, 1968 के अपने आदेश के तहत पट्टे की राशि के नुकसान के लिए 2,042 रुपये और शामलात भूमि के आदान-प्रदान के लिए 10,000 रुपये का आकलन किया।

उपरोक्त मूल्यांकन आदेशों से व्यथित, अपीलकर्ता ने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, खंड विकास और पंचायत अधिकारी और पंचायतों के सहायक निदेशक के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया। अपने लिखित बयानों में, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ने वाद में लगाए गए आरोपों से इनकार किया था और दलील दी थी कि सिविल कोर्ट के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने चार मुद्दे तैयार किए लेकिन इस अपील के उद्देश्य के लिए सामग्री मुद्दा संख्या 4 है, जो निम्नलिखित शब्दों में है: –

> "क्या सिविल कोर्ट के पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है?"

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ मुद्दे पर फैसला किया और कहा कि सिविल कोर्ट के पास मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया। वर्तमान अपील दोनों न्यायालयों के फैसले और डिक्री के

खिलाफ निर्देशित है।

अपीलकर्ता के वकील श्री एससी कपूर ने तर्क दिया है कि चूंकि ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, इसलिए सिविल कोर्ट के पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है और नीचे दी गई अदालतों ने केवल इस आधार पर वादी-अपीलकर्ता के मुकदमे को खारिज करके कानून में गलती की है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने *श्री वेदगिरि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर* बनाम *इंदुरु पट्टाभिरामी रेड!* (1) *और मुसामिया इमाम हैदर बक्स रजवी* बनाम *रबारी गोविंदई रत्नाभाई और अन्य* (2) *पर भरोसा किया है*। ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 781.

1. ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 489.

ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के विद्वान वकील श्री जेएस मलिक ने तर्क दिया है कि श्री एससी कपूर की दलीलों में कोई दम नहीं है क्योंकि सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से और निहित रूप से ऐसे मामले पर निर्णय लेने से बाहर रखा गया है।अपने समर्थन में, उन्होंने *दर्शना नंद* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य* (3) पर भरोसा किया है।

पूरे मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने और दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा उद्धृत उपरोक्त अधिकारियों को देखने के बाद, मुझे अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री कपूर द्वारा दिए गए आरोपों में कोई दम नहीं लगता है। अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (2) का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: –

> (2) इस अधिनियम के तहत लगाए गए अपने किसी भी कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी ग्राम पंचायत के खिलाफ कोई सिविल या राजस्व मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी।

इस धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम के तहत सद्भावना से किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी ग्राम पंचायत के खिलाफ सिविल या आपराधिक न्यायालय में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। तत्काल मामला ग्राम पंचायत के कहने पर शुरू किया गया था। ग्राम पंचायत को हुए वित्तीय नुकसान की देयता का मूल्यांकन खंड विकास और पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया था, जिन्हें 30 अक्टूबर, 1959 को पंजाब सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या बीडीओ (पी) -59/13461 के आधार पर अपने ब्लॉक क्षेत्र में जिला पंचायत अधिकारी की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का पालन करने का अधिकार दिया गया था। इसलिए खंड विकास और पंचायत अधिकारी मूल्यांकन करने के लिए सक्षम थे। अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पीड़ित व्यक्ति को जिला पंचायत अधिकारी द्वारा अपने मामले को समझाने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 105 की उप-धारा (3) के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि पीड़ित व्यक्ति

पंचायतों के सहायक निदेशक के समक्ष जिला पंचायत अधिकारी के मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील के माध्यम से अपना उपाय मांग सकता है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को जिला पंचायत अधिकारी की प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ खंड विकास और पंचायत अधिकारी द्वारा अपने मामले को समझाने का पूरा मौका दिया गया था। उन्होंने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के आदेश के खिलाफ पंचायत के सहायक निदेशक के समक्ष अपील भी दायर की, जिन्होंने गुण-दोष के आधार पर इसे खारिज कर दिया।

1969 पी.एल.जे.134.

धारा की भाषा से पता चलता है कि अपील के बाद आदेश देय राशि का निर्णायक प्रमाण होगा। इस प्रकार मूल्यांकन आदेश अंतिम हो गया है और सिविल न्यायालयों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। फर्म सेठ राधा किशन *बनाम* प्रशासक नगर समिति, लुधियाना *(4) के मामले में* उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

> "नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत, न्यायालय के पास सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार होगा, सिवाय उन मुकदमों के जिनमें से संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से प्रतिबंधित है। इसलिए, एक क़ानून, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा, किसी विशेष मामले के संबंध में सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को रोक सकता है। उक्त मामले के संबंध में किसी अधिकरण को केवल विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करने मात्र से सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बाहर नहीं हो जाता है। क़ानून विशेष रूप से नागरिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का प्रावधान कर सकता है; यहां तक कि अगर ऐसा कोई विशिष्ट बहिष्करण नहीं था, अगर यह

एक दायित्व बनाता है जो पहले मौजूद नहीं है और पीड़ित पक्ष के लिए एक विशेष और विशेष उपाय देता है, तो इसके द्वारा प्रदान किए गए उपाय का पालन किया जाना चाहिए। वही सिद्धांत लागू होगा यदि क़ानून ने उस विशेष मंच के लिए प्रावधान किया था जिसमें उपाय किया जा सकता था,

* * * *

* * * *

ऊपर *के सिद्धांत को लागू करते हुए,* पीड़ित पक्ष केवल अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए उपाय को आगे बढ़ा सकता है और वह उस संबंध में सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप ने नगरपालिका समिति के एक मामले में उपर्युक्त टिप्पणियां की हैं, जिसमें ग्राम पंचायत अधिनियम की तरह ऐसे उपाय भी प्रदान किए गए थे। श्री वडागिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के *मामले (ऊपर) और मुसामिया इमाम हैदर बक्स राजबी के मामले* (ऊपर) *में अपीलकर्ता* के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए फैसले से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। ये दोनों प्राधिकरण भी वही सिद्धांत निर्धारित करते हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट प्राधिकरण द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इन सभी प्राधिकरणों का अनुपात यह है कि जहां अधिनियम के तहत एक उपाय प्रदान किया जाता है, सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाता है और यदि कोई उपाय प्रदान नहीं किया जाता है, तो मामले को सिविल कोर्ट में लाया जा सकता है।

1. ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1547.

दूसरे, यदि लागू आदेश पारित करने वाले अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया है या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं है; लेकिन अगर अधिकारी ने क़ानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किए बिना अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया है, तो सिविल कोर्ट को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि, यह अच्छी तरह से तय है कि जहां शीर्षक का सवाल किसी विवाद में शामिल है, सिविल कोर्ट के पास इस पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।

मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे इस अपील में कोई दम नहीं दिखता है और इसे खारिज किया जाता है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.एस.जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रश्मीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा